

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-22/2017

61 (आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 31-08-2017

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा/मुंगेर/नालंदा/नवादा/रोहतास/ औरंगाबाद /
कैमूर/जमुई/बाँका/लखीसराय/गया।

विषय :

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत घटक योजना रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 416.666 लाख (चार करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार छः सौ) रूपये (केन्द्रांश 250.00 एवं राज्यांश 166.666) लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु तत्काल ₹1,88,39,963 (एक करोड़ अठासी लाख उनचालीस हजार नौ सौ तिरसठ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3098 दिनांक-03.08.2017 द्वारा केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत घटक योजना रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 416.666 लाख (चार करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार छः सौ) रूपये (केन्द्रांश 250.00 एवं राज्यांश 166.666) लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति हुई है। स्वीकृति के फलस्वरूप भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुपात में तत्काल व्यय हेतु ₹1,88,39,963 (एक करोड़ अठासी लाख उनचालीस हजार नौ सौ तिरसठ रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹1,88,39,963 (एक करोड़ अठासी लाख उनचालीस हजार नौ सौ तिरसठ रूपये) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹93,60,000 (तिरानवे लाख साठ हजार रूपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-105-खाद तथा उर्वरक-मांग संख्या-01-उपशीर्ष-0207-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड-9142 विपत्र कोड-01-2401001050207, विषयशीर्ष-0207.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹1,88,39,963 (एक करोड़ अठासी लाख उनचालीस हजार नौ सौ तिरसठ रूपये) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹17,97,000 (सतरह लाख सन्तानवे हजार रूपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-01- उपशीर्ष-0238-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड-9142 विपत्र कोड-01-2401007890238, विषयशीर्ष-0238.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹1,88,39,963 (एक करोड़ अठासी लाख उनचालीस हजार नौ सौ तिरसठ रूपये) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹1,47,000 (एक लाख सैंतालीस हजार रूपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-01-उपशीर्ष-0258-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड-9142 विपत्र कोड-01-2401007960258, विषयशीर्ष-0258.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उपरोक्त ₹1,88,39,963 (एक करोड़ अठासी लाख उनचालीस हजार नौ सौ तिरसठ रूपये) मात्र में से राज्यांश मद का ₹62,39,974 (बासठ लाख उनचालीस हजार नौ सौ चौहत्तर रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-105-खाद तथा उर्वरक-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0307-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड-9142 विपत्र कोड-01-2401001050307, विषयशीर्ष-0307.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-22/2017

6. उपरोक्त ₹1,88,39,963 (एक करोड़ अठासी लाख उनचालीस हजार नौ सौ तिरसठ रुपये) मात्र में से राज्यांश मद का ₹11,97,969 (ग्यारह लाख सन्तानवे हजार नौ सौ उनहत्तर रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-01- उपशीर्ष-0338-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड-9142 विपत्र कोड-01-2401007890338, विषयशीर्ष-0338.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. उपरोक्त ₹1,88,39,963 (एक करोड़ अठासी लाख उनचालीस हजार नौ सौ तिरसठ रुपये) मात्र में से राज्यांश मद का ₹98,020 (अन्तानवे हजार बीस रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-01- उपशीर्ष-0358-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड-9142 विपत्र कोड-01-2401007960358, विषयशीर्ष-0358.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक:-3002 वि. (2) दिनांक-26.04.2017 के आलोक में दी जा रही है।

9. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

11 पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक:-46 (आवंटन) दिनांक-09.08.2017 को पूर्णरूपेण विलोपित किया जाता है।

विश्वासभाजत

(प्रभु शर्मा)

ज्ञापांक

61 (आवंटन)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
/कृ., पटना, दिनांक 31-08-2017

कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक

2.

कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक

ज्ञापांक

61 (आवंटन)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
/कृ., पटना, दिनांक 31-08-2017

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/ उप निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी /संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/अध्यक्ष राज्य किसान आयोग बिहार, पटना/सभी परियोजना निदेशक (आत्मा)/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-22/2017

ज्ञापांक - 61 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 31-08-2017

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव


उप

बिहार सरकार
कृषि विभाग

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3098 दिनांक-03.08.2017 द्वारा केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि का आवंटन विवरणी।

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि रु० में								आवंटित राशि रु० में								कुल योग
		केन्द्रांश				राज्यांश				केन्द्रांश				राज्यांश				
		विपत्र कोड 01-240100 1050207	विपत्र कोड 01-240100 7890238	विपत्र कोड 01-240100 7960258	योग	विपत्र कोड 01-240100 1050307	विपत्र कोड 01-240100 7890338	विपत्र कोड 01-240100 7960358	योग	विपत्र कोड 01-240100 1050207	विपत्र कोड 01-240100 7890238	विपत्र कोड 01-240100 7960258	योग	विपत्र कोड 01-240100 1050307	विपत्र कोड 01-240100 7890338	विपत्र कोड 01-240100 7960358	योग	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	15,14,500	2,92,000	18,200	18,24,700	10,09,600	1,94,600	12,200	12,16,400	6,83,040	1,31,166	10,702	8,24,908	4,55,330	87,414	7,174	5,49,918	13,74,825
2	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	24,90,300	4,80,000	30,000	30,00,300	16,60,200	3,20,000	20,000	20,00,200	11,23,125	2,15,616	17,640	13,56,381	7,48,750	1,43,744	11,760	9,04,254	22,60,636
3	जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा।	14,76,200	2,84,600	17,800	17,78,600	9,84,200	1,89,700	11,900	11,85,800	6,67,516	1,28,042	10,466	8,06,024	4,45,030	85,346	6,997	5,37,373	13,43,398
4	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	15,33,100	2,95,500	18,500	18,47,100	10,22,100	1,97,000	12,300	12,31,400	6,91,428	1,32,739	10,878	8,35,045	4,60,967	88,492	7,232	5,56,692	13,91,737
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	16,19,600	3,12,200	19,500	19,51,300	10,79,700	2,08,200	13,000	13,00,900	7,30,440	1,40,240	11,466	8,82,146	4,86,945	93,523	7,644	5,88,112	14,70,258
6	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद।	25,19,900	4,85,800	30,400	30,36,100	16,80,000	3,23,800	20,200	20,24,000	11,36,475	2,18,221	17,875	13,72,571	7,57,680	1,45,451	11,878	9,15,009	22,87,580
7	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर।	19,99,400	3,85,400	24,100	24,08,900	13,32,800	2,57,000	16,100	16,05,900	9,01,729	1,73,122	14,171	10,89,022	6,01,093	1,15,444	9,467	7,26,004	18,15,026
8	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	20,81,300	4,01,200	25,100	25,07,600	13,87,600	2,67,500	16,700	16,71,800	9,38,666	1,80,219	14,759	11,33,644	6,25,808	1,20,161	9,820	7,55,788	18,89,432
9	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका।	13,15,300	2,53,600	15,800	15,84,700	8,76,800	1,69,000	10,600	10,56,400	5,93,200	1,13,917	9,290	7,16,408	3,95,437	75,915	6,233	4,77,584	11,93,992
10	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	23,57,000	4,54,300	28,400	28,39,700	15,71,400	3,02,900	18,900	18,93,200	10,63,007	2,04,072	16,699	12,83,778	7,08,701	1,36,063	11,113	8,55,877	21,39,655
11	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	18,43,400	3,55,400	22,200	22,21,000	12,28,900	2,36,900	14,800	14,80,600	8,31,373	1,59,646	13,054	10,04,073	5,54,234	1,06,415	8,702	6,69,352	16,73,424
	कुल	2,07,50,000	40,00,000	2,50,000	2,50,00,000	1,38,33,300	26,66,600	1,66,700	1,66,66,600	93,60,000	17,97,000	1,47,000	1,13,04,000	62,39,974	11,97,969	98,020	75,35,963	1,88,39,963

कुल-(एक करोड़ अठासी लाख उनचालीस हजार नौ सौ तिरसठ रु०) मात्र।


निदेशक प्रशासन-सह- अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।